कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) खरगोन म.प्र.

कमांक / 151 / स्था.निर्वा. / 2021 **खरगोन दिनांक 12 / 02 / 2021**

—:: निविदा प्रपत्र ::—

नगरीय निकाय एवं त्रि—स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन वर्ष 2021 के लिए निर्वाचन प्रक्रिया,मतदान,मतगणना आदि के समय की विडियोग्राफी हेतु ई—निविदा के लिए निम्नानुसार कार्य का क्षेत्र एवं सामान्य शर्ते रखी जाती हैः—

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) खरगोन में ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
2. निविदा प्रस्तुत करने का दिनांक 17.02.2021 से 25.02.2021 तक सांय 03.00 बजे तक रहेगा ।
3. प्रस्तुत निविदा के साथ अमानत की राशि रूपये 10,000 / — का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) खरगोन को संबोधित होगा, संलग्न होना चाहिए।
4. ई—निविदा गठित समिति के समक्ष दिनांक 26.02.2021 को दोपहर 03.30 बजे खोली जावेगी।
5. **निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदादाता को निम्न शर्तो का पालन करना आवश्यक हैः—**
   1. विडियो के कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।
   2. निविदादाता की वित्तीय स्थिति सुदृढ होना चाहिए ।
   3. निविदादाता का स्वंय का आधार कार्ड,पेन कार्ड एवं फर्म का जी.एस.टी. नंबर होना अनिवार्य है ।
   4. निविदादाता का किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए,निविदादाता किसी भी राजनैतिक पार्टी अथवा अभ्यर्थी से चाय, नास्ता, खाना इत्यादि ग्रहण नहीं करेगा, यदि इसका उल्लंघन किया गया तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।
   5. निविदादाता सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) खरगोन के लिए एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा एवं किसी भी विवाद की स्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) खरगोन का अंतिम निर्णय होगा ।
   6. निविदाता जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेगा ।
   7. निविदादाता का कार्य क्षेत्र तथा आवश्यक केन्द्रों की संख्या कार्य आदेश अनुसार होगी । यदि अतिरिक्त कैमरों की आवश्यकता हुई तो मय कैमरामैन के उपलब्ध कराना होगा ।
   8. निविदादाता विडियो कैसेट पूर्ण होने तक कैसेट की सुरक्षा के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा। विडियो कैसेट पूर्ण होने पर निविदादाता तत्काल उस विडियो कैसेट को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को सौपेंगा। तत्पश्चात उसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेगा ।

9. प्रतिदिन की जानेवाली विडियों ग्राफी की विडियो कैसेट से सी.डी. तैयार की जावेगी तथा उक्त सी.डी. रिटर्निंग ऑफिसर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को सौंपी जाएगी । यदि किसी दिन विडियो ग्राफी नहीं होती है तो उस दिन की सी.डी. तैयार नहीं होगी । एवं सी.डी. का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
10. प्रत्येक खण्ड के कार्य का विस्तृत ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदादाता को यथा समय उपलब्ध कराया जावेगा ।
11. निविदादाता प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) खरगोन अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।
12. निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत निविदादाता की यह जिम्मेदारी होगी कि कार्य निर्बाध रूप से निरंतर चलता रहे। किसी भी तरह के विलम्ब अथवा रूकावट के लिए उसे कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा, एवं प्रतिभूति की राशि रातसात की जावेगी ।
13. निविदादाता द्वारा जिस पद पर निविदा प्रस्तुत की जावेगी उसमें यह यह माना जाएगा कि उस दर में समस्त प्रकार के कर सम्मिलित है ।
14. जिला निर्वाचन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि गुण/दोष के आधार पर बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकता है ।
15. निविदादाता से आयकर, वाणिज्य कर एवं जी.एस.टी. के नियमानुसार कटोत्रा उन्हें की जानेवाली राशि से स्त्रोत पर ही काट ली जावेगी ।
16. यदि निविदादाता द्वारा निर्धारित शर्ते एवं प्रक्रिया तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी । यदि निविदाकार द्वारा कार्य अधुरा छोड़ दिया जाता है तथा वह कार्य किसी अन्य से कराया जाता है तो उसका भुगतान की जाने वाली अंतर की राशि निविदाकार को भुगतान की जाने वाली राशि से वसूल की जावेगी ।
17. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा ।
18. निविदा के प्रत्येक पृष्ठ निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए ।
19. यदि आपके द्वारा कार्य करने से मना किया जाता है तो धरोहर राशि/अमानत राशि रातसात की जाएगी ।
20. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर टेण्डर्स मध्यप्रदेश **https://mptenders.gov.in** वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी ।
21. 17. ई–निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाईट **https://khargone.nic.in** पर एवं स्थानीय निर्वावचन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है ।

अपर कलेक्टर
जिला खरगोन म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) खरगोन (म.प्र)

1. TENDER PUBLISH DATE - 17-02-2021

2- TENDER OPENING DATE - 26-02-2021

3- DOCUMENT DOWNLOAD START DATE - 17-02-2021

4- DOCUMENT DOWNLOAD END DATE - 25-02-2021

5-BID SUBMISSION START DATE - 17-02-2021

6-BID SUBMISSION END DATE - 25-02-2021

अपर कलेक्टर
जिला खरगोन